सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **37/2011** दायर दिनाँक **08.02.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. उम्मेद खां पुत्र पन्ने खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना की ढाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, नागौर 2. धापी बेवा भूरे खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह वकील वादी।
2. श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी सं0 01।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **18.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद खुनखुना के खेत खसरा सं0 257 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि है। जिस पर अरसे—दराज से कब्जा काश्त वादी का आज दिन तक शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। मगर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीनी धापी बेवा भूरे खां के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि प्रतिवादिनी धापी का स्वर्गवास काफी अरसे पहले हो चुका है। प्रतिवादीनी धापी की बहिन सुखी थी। जिसके एक पुत्री रजिया उर्फ रज्जों थी जो पाकिस्तान की नागरिक थी। रजिया ने एक वाद मु0 नं0 20/87 पेश किया, जो दिनांक 27.07.1999 को खारिज हो चुका है। जिस वाद में वादी का कब्जा दिनांक 09.06.1975 से माना था। खतौनी वाद व जवाब दावा आर्डर सीटों की प्रमाणित प्रतिलिपिया वाद के साथ प्रस्तुत है।

वादी का खेत खसरा सं0 257 की भूमि पर एडवर्ड पंजेशन है। वादी का कब्जा उक्त खेत पर धापी के समय से ही है। शेष खसरा की भूमि खेत खसरा सं0 255 रकबा 17 बीघा व खसरा सं0 317 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा की भूमि पर निजाम, शफी, हुसैन, रसुल पिसरान पीर खां का कब्जा काश्त है। धापी के निकट में अब कोई वारिस नहीं है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.2.2011 से भी वादी का कब्जहा 30—35 वर्षो से है।

उक्त भूमि पर वादी का एडवर्स पज[illegible] की वजह से दिनांक 25.02.2010 को राजस्थान सरकार को अन्तर्गत [illegible] 80 [illegible]सी0 का कानूनी नोटिस देकर यह वाद पेश किया जा रहा है।

धापी का स्वर्गवास [illegible] वारिस भी नहीं है। मगर राजस्व रेकर्ड में नाम होने से धापी को पक्षक[illegible]नाया है। इसलिए वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

को उक्त खेत जरिये घोषणा खातेदारी के प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। इसलिए वाद प्रस्तुत है।

बिनाय दावा दिनांक 25.02.2010 को राज्य सरकार को नोटिस देने व राजस्व कर्मचारियों द्वारा बार-बार बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुई व हो रही है। दावा अवधि भीतर है व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

प्रार्थना वादी है कि सरहद खुनखुना के खेत खसरा सं0 257 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। वादी ने अपने शपथ पत्र में भी दिनांक 09.06.1975 से कब्जा माना है। साक्ष्य वादी में हुसैन खां का शपथ पत्र पेश हुआ जिसने भी वादी का कब्जा दिनांक 09.06.1975 से माना है।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। इससे पूर्व रजिया ने एक वाद मुकदमा सं0 20/87 पेश किया जो दिनांक 27.07.1999 को खारिज हो गया। उक्त वाद में तथा वादिनी रजिया के बयानों में भी वादी उम्मेद खां का कब्जा काश्त दिनांक 09.06.1975 से माना है।

बहस के तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

-:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 257 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **18.10.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **37/2011** दायर दिनाँक **08.02.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. उम्मेद खां पुत्र पन्ने खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना की ढाणी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, नागौर 2. धापी बेवा भूरे खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **18.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खुनखुना के खसरा सं0 257 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **18.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो ... कन ... चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या न ... गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner